

## कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर

(जिला— गोरखपुर, उ0प्र0)

संख्यांक /निरीक्षण / ५१९७-९४ / २०१८-१९

तारीख १५।६।२०१८

प्रबन्धक,

आर०पी०एम० एकोडगी,

ग्रीन सिटी, गोरखनाथ, गोरखपुर।

विषय—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (a) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 24-07-2017 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ परचातवर्ती पत्राज्ञात/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से, मे आर०पी०एम० एकोडगी, ग्रीन सिटी, गोरखनाथ, गोरखपुर को तारीख 01-07-2017 से तारीख 30-06-2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जू़हाइस्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षाएं तथा एक से जाठ तक के परिसरों) के लिए अद्यतीजी माध्यम की उन्नति, मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता है।

उपरीका, मजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है—

१—मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विद्यित नहीं है।

२—विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपावन्ध १) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपावन्ध २) के उपर्योग का पालन करेगा।

३—विद्यालय कक्षा १ में (या यथास्थिति नसीरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और रुकिधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

४—पैरा-३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपलाहा (२) के उपर्योग के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्रदान करने के लिए विद्यालय एक गृथक बैंक खाता रखेगा।

५—सौसाहटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का साझगण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी रक्कीनिग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

६—विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपर्योगों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फैल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निकासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्तीर्ण के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोहं परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकार्थित किए गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा।

②